रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 12 जुलाई, 1988/21 आषाढ़, 1910.

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 18 दिसम्बर, 1987

संख्या 7-60/81-ई०एक्स०एन०-30754-83.—पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियां, जैसा 1 नवम्बर, 1986 से तत्काल पूर्व हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्रों म लागू है तथा जसा उन क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश को पंजाब रिआर्गेनाईजेशन ऐक्ट, 1966 की धारा 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित, क्षेत्रों में लागू है, का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज पावर एण्ड अपील आर्डरज, 1965 एवं पंजाब एक्साईज पावरज एण्ड अपील आर्डरज, 1956 क साथ पढ़ी जाने वाली उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जो अधिनियम अधिसूचना संख्या 7-60/81 ई० एक्स०एन० दिनांक 5-2-1987 (दिनांक 27 जून, 1987 के राजपत्र में प्रकाशित) जारी हुए थे, उनका प्राधिकृत राजभाषा पाठ हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किया जाता है।

हेम चन्द,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त।

3147-राजपत्र/87–12-7-88—1,746.

मूल्य : 20 पैसे।

[हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या 7-60/81-ई0 एक्स0 एन0 दिनांक 5-2-1987 जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 2-7-1987 को प्रकाशित हुई द्वारा यथा प्रकाशित "हिमाचल प्रदेश बौन्डिड वेयर हाउस रूल्ज, 1987" का प्राधिकृत राजभाषा पाठ]।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश आबकारीबद्ध गोदाम नियम, 1987 कहे जा सकते हैं।

(2) वह नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ : इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो :—

(1) "अधिनियम" से पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) अभिप्रेत है।

(2) "सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त" से, जिला के आबकारी प्रशासन का कार्यभार सम्भालने वाला अधिकारी अभिप्रेत है,

(3) "बद्ध गोदाम" से, अभिप्रेत है वित्तायुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अधीन भारतवर्ष के किसी स्थान से हिमाचल प्रदेश में निर्मित बोतल में बन्द तथा थोक, दोनों ही प्रकार की शराब के बन्धरखाधीन प्राप्ति, संग्रहण-परिवहन अथवा निर्यात के लिए अनुज्ञप्तबद्ध गोदाम जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बद्धपत्र के अधीन कम करने, बोतलें भरने, परिवहन अथवा निर्यात हेतु अथवा राज्य के भीतर अथवा बाहर शुल्क के भुगतान पर अनुमोदित है,

(4) "उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त" से, अधिनियम के अधीन उसे समाहर्ता के कर्तव्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है, और जिसके अन्तर्गत आता है, समस्त प्रदेश में और उसमें किसी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इन नियमों के अधीन उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त की सभी और किसी भी शक्ति का प्रयोग करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी,

(5) "आबकारी एवं कराधान अधिकारी" से, जिला के आबकारी प्रशासन का कार्यभार सम्भालने वाला अधिकारी अभिप्रेत है,

(6) "आयात" "निर्यात" तथा "परिवहन" पदों के वही अर्थ हैं जो कि उन्हें अधिनियम की धारा 3 में दिये गये हैं;

(7) "संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त" से, अधिनियम के अधीन उसे समाहर्ता के कर्तव्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है, और जिसके अन्तर्गत आता है, समस्त प्रदेश में और उसमें किसी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इन नियमों के अधीन, संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त की सभी और किसी भी शक्ति का प्रयोग करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी,

(8) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति प्रथवा फर्म अथवा कम्पनी जिसे बद्ध गोदाम को स्थापित करने अथवा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है,

(9) "प्रभारी अधिकारी" से, बद्ध गोदाम में कार्य का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्ति आबकारी विभाग का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(10) "स्पिरिट भण्डार" से बद्ध गोदाम का वह भाग अभिप्रेत है, जो कि शराब के, जिसमें बोतल भरी और थोक में रखी शराब शामिल हैं, भण्डार के लिए अलग रखा गया है;

(11) "शराब" से देसी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब, शोधित व बीयर अभिप्रेत है, इसमें बोतल बन्द तथा थोक दोनों ही प्रकार की शराब शामिल है

(12) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

अनुज्ञप्ति :

3. बद्ध गोदाम को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति, अधिनियम की धारा 22 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अध्याधीन वित्तायुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी।

4. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखित रूप में प्रपत्र बी0 डब्ल्यू-एच-1 पर दिया जाएगा और अनुज्ञप्ति प्रपत्र-बी-डब्ल्यू-एच-2 में प्रदान की जायगी। वित्तायुक्त अनुज्ञप्ति की सारी शर्तों को पूरा करने के लिए 25,000 रुपये से अधिक प्रतिभूति राशि जमा करने के अध्याधीन अथवा उसी राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रपत्र-बी-डब्ल्यू-एच-3 बन्ध पत्र के निष्पादन करने पर प्रपत्र बी-डब्ल्यू-एच-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

अनुज्ञप्ति की अवधि :

5. अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में 5,000 रुपये भुगतान करने पर, अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तिथि से 31 मार्च के अन्त तक एक वर्ष तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा नवीकृत की जा सकती हैं।

6. सामान्यत: अवकाश के दिन कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तथापि यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी अवकाश के दिन कार्य करना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति, अवकाश के दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए जिस दिन बद्ध गोदाम कार्य के लिए खुला रखा जाना है, सरकारी कोष में 5 रुपये की राशि प्रतिदिन जमा करवाने पर दी जाएगी। इस प्रकार की लिए गए अतिकालिक शुल्क का हिसाब प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रपत्र-डी-23 में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण:

"कार्य से शराब निकालने व बोतलों में भरने से सम्बन्धित सामान्य प्रचालन सम्मिलित है।

7. शराब किसी मद्य निर्माणशाला, अथवा राज्य में अथवा राज्य से बाहर स्थित किसी बद्ध गोदाम से, वित्तायुक्त के आदेशाधीन तथा मण्डल/क्षेत्रीय संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त/उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा जारी किए गए परमिट पर बन्ध पत्र के अधीन शुल्क के भुगतान के बिना प्राप्त की जा सकती है।

परेषण का सत्यापन :

8. बद्ध गोदाम में उस समय तक किसी भी प्रकार की शराब प्राप्त नहीं की जाएगी जब तक कि इसके आयात अथवा निर्यात करने वाली मद्य निर्माणशाला अथवा बद्ध गोदाम के कार्यभारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त बन्ध पत्र इसके साथ न लगाया गया हो।

प्रेषण के, बद्ध गोदाम में पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी को तुरन्त सूचित किया जाएगा और प्रेषित माल को उस समय तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि प्रभारी अधिकारी पास के साथ उसकी जांच तथा सत्यापित नहीं करता। वह इसका परिणाम इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर तथा परिवहन के साथ भेजे गये पास पर भी अंकित करेगा प्राप्ति के इन्दराज के साथ प्रवेश पत्र की एक प्रति, प्रवेश पत्र जारी करने वाले अधिकारी को तुरन्त भेजी जाएगी तथा दूसरी प्रति इंदराज सहित गोदाम में रखी जाएगी।

9. शराब से भरी बोतलों अथवा बर्तनों के पारगमन के दौरान टूट फूट अथवा चुआव के कारण वास्तविक क्षति के लिए एक प्रतिशत अनधिक छोजन भत्ता अनुमत्त किया जाएगा। एक प्रतिशत छूट का निर्धारण प्रेषित की गई शराब की मात्रा में से गन्तव्य स्थान पर प्राप्त की गई शराब की मात्रा को घटाकर किया जाएगा। स्पिरिट वाली शराब को प्रूफ लीटरों में अथवा बीयर की स्थिति में इसे बल्क लीटरों में प्रकट किया जाएगा।

10. यदि प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट से यह प्रतीत हो कि छोजन में अति विहित सीमा से अधिक है तो अनुज्ञप्तिधारी विहित दर पर शुल्क की अदायगी करने के लिए दायी होगा मानों कि विहित सीमा से अधिक क्षति की

मात्रा को गोदाम से वस्तुतः निकाला गया है। परन्तु अधिक छोजन का प्रत्येक मामला आदेशार्थ वित्तायुक्त को सूचित किया जाएगा जो विवेक से पर्याप्त कारण बताने पर इस प्रकार की छोजन पर पूर्ण उद्ग्रहणीय शुल्क अथवा उसके किसी भी भाग को माफ कर सकता है।

11. शराब का आयात/वाहन बन्धपत्र के अधीन पंजाब शराब परमिट तथा प्रवेशपत्र नियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के एक मात्र जोखिम व उत्तरदायित्व पर लिया जाएगा। शराब की प्रभारी अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जांच तथा प्रमाणित करने तथा गोदाम में जमा करवाने के पश्चात् फार्म एल-7 पर बन्धपत्र प्रभार मोन्मुक्त होगा।

12. सरकार, गोदाम में रखी गई शराब अथवा गोदाम को पारगमन के समय, शराब को अग्नि, चोरी अथवा किसी अन्य कारण से गोदाम में हुए नाश, हानि अथवा गोदाम क्षति के लिए, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। ऐसे मामले की जांच संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त/उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त अथवा इस निमित्त इस द्वारा प्रतिनियुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसकी रिपोर्ट आदेशार्थ वित्तायुक्त को भेजी जाएगी यदि वह पाया जाए कि इस प्रकार की क्षति अनुज्ञप्तिधारी को युक्ति युक्त सावधानियों से रोकी जा सकती थी तो उससे इस प्रकार शराब की हुई हानि के लिए शुल्क वसूल किया जाएगा। इस सम्बन्ध में वित्तायुक्त का निर्णय अन्तिम तथा आबद्ध होगा।

13. जब तक वित्तायुक्त अन्यथा विशेष आदेश न दे, सभी प्रकार की शराब वाट, अथवा सील बन्द बोतलों और सील बन्द पात्रों में रखी जाएगी।

शराब का संग्रहण और उसकी ताला बन्दी :

14. शराब भरने और निकासन नालियां, स्टोर वाट और शराब के संग्रहण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले समस्त पात्र, ऐसे वाटों अथवा पात्रों के छिद्रों तथा शराब के भण्डार अथवा गोदाम सभी द्वार इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए कि उन्हें दो तालों में बन्द किया जा सके तथा उनकी चाबियां आपस में न बदली जा सके तथा इसमें से एक राजस्वताला (टिकिटिड) प्रभारी अधिकारी के प्रभार में रहेगा तथा दूसरा ताला अनुज्ञप्तिधारी के प्रभार में रहेगा सभी राजस्व तालों की चाबियां प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी जाएगी। जिसकी अनुपस्थिति में गोदाम का कोई दरवाजा अथवा पात्र नहीं खोला जाएगा। राजस्व तालों का लेखा प्रपत्र-डी-17 में रखा जाएगा।

15. शराब के रूपान्तरण, मिश्रण और निर्माण सम्बन्धि सभी पात्र टिकिटिड तालों में बन्द किये जायेंगे और ऐसे पात्र जिनमें पेय शराब रखी अथवा प्राप्त की जायेगी, इस प्रकार निर्मित होने चाहिएं कि तालों को खोल बिना शराब को गिरने से रोका जा सके।

16. किसी भी प्रकार की शराब को, किसी भण्डार अथवा पात्र से उस समय तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा इसकी मात्रा तथा शक्ति का हिसाब न रखा गया हो।

17. यदि अपेक्षित हो, अनुज्ञप्तिधारी समस्त अथवा किसी एक प्रकार की तैयार शराब अथवा रासायनिक विश्लेषण के लिए इसकी बनावट की शुद्धता तथा शक्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका नमूना भेजेगा।

निर्गम :

18. गोदाम में प्राप्त की गई तथा इसमें निर्गम की जाने वाली शराब का हिसाब किताब रजिस्टरों में फार्म बी0 डब्ल्यू0एच-8, डी-13, डी-13ए, डी-13-बी, डी-14, डी-14ए बी-15 तथा बी-15-ए में रखा जायेगा। सभी प्रकार की शराब का निर्गम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक कोर्ट फीस स्टाम सहित आवेदन करने पर दिया जाएगा।

19. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मास के अन्त में प्रपत्र डी-13 पर दो प्रतियों में प्रभारी अधिकारी को विवरणी भेजेगा जो इसे सत्यापित करने के पश्चात संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त/उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त को भेजेगा। इसकी एक प्रति वह अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति वित्तायुक्त को सूचना तथा उसके कार्यालय में अभिलेख हेतु भेजेगा।

20. अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी सभी विवरणीयां तथा सूचना वित्तायुक्त अथवा उस द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी को भेजेगा जो कि समय समय पर अपेक्षित हो।

21. गोदाम से शराब निम्न के लिये ले जाई जा सकती है :—

(1) बन्धपत्राधीन (ख) दूसरे बद्ध गोदाम को, परिवहन/निर्यात के लिए, भारत में दूसरे राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के निर्यात हेतु जब वित्तायुक्त द्वारा विशेष तौर से अनुमन्त हो।

(2) राज्य के भीतर तथा राज्य से बाहर शुल्क अदा करने पर।

22. (क) किसी भी प्रकार की शराब गोदाम से उस समय तक नहीं ले जाई जा सकेगी जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा इसकी जांच व प्रमाण न किया गया हो तथा जब तक कि वहन अथवा निर्यात प्रवेश प्रपत्र-पत्र डी-20 अथवा एल-34 में प्रदान न किया गया हो पास केवल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बन्धपत्र निष्पादित किए जाने के प्रमाण अथवा खजाने की रसीद प्रस्तुत करने पर जिससे यह प्रतीत हो कि अपेक्षित शुल्क की राशी सरकारी खजाने में अदा कर दी गई है जारी किए जाएंगे।

(ख) बन्धपत्र के अधीन जारी की जाने वाली शराब की स्थिति में शराब को किसी विशिष्ट स्थान अथवा गन्तव्य (स्थान) पर ले जाने के लिए प्रपत्र एल-37 पर, बन्धपत्र निष्पादित करेगा तथा बन्धपत्र को प्रभावोन्मुक्त किए जाने से पूर्व वह ऐसा किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

23. यदि अनुज्ञप्तिधारी, समय पर शुल्क अदा नहीं करना चाहता है तो वह उससे सरकारी खजाने में अग्रिम भुगतान किए गए के विरुद्ध ऐसे शुल्क के समायोजन के अध्याधीन शराब को निकाल सकता है, ऐसे निकाले जाने पर वसूल किये जाने वाले शुल्क का लेखा रजिस्टर में प्रपत्र डी-15 में रखा जायेगा। ऐसे अग्रिम का भुगतान 2000/– रुपये से कम नहीं होगा तथा इस प्रकार किए गए प्रत्येक भुगतान की पूर्ति किसी एसी राशि द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह राशि कम से कम 2000/–रुपय हो। कोषाध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी को ऐसे सभी भुगतान की सूचना देगा जो कि किसी अग्रिम खाते में जमा किए गये हों तथा प्रभारी अधिकारी ऐसे सभी भुगतानों तथा उसके प्रति नाम डालने योग्य शुल्क को दर्शाते हुए एक विवरण तैयार करेगा। वह प्रत्येक कार्य दिवस को इस विवरण का अन्तर निकालेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को उसके खाते में शेष जमा राशि की सूचना देगा। वह शराब ले जाने को उस समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी के खाते में ऐसी शराब के सम्बन्ध में देय शुल्क की पूर्ति हेतु पर्याप्त जमा राशि न हो।

24. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन नियमों के अधीन विहित सभी रजिस्टरों तथा प्रपत्रों की आपूर्ति को बिना किसी कीमत के की जायेगी। जिल्दबद्ध फार्मों को निरन्तर छपि हुई क्रम संख्या में रखा जाएगा। ऐस फार्मों क खले कागज जैसा कि आवश्यक हो को भी प्रभारी अधिकारी को दिया जाएगा।

25. प्रत्येक मास के अन्तिम कार्य दिवस को, उस दिन के लेन देन को पूरा करने के पश्चात्, बोतल बन्द तथा थोक दोनों ही प्रकार निरीक्षण किया जाएगा। इस स्टाक की जांच प्रत्येक मास के अन्तिम कार्य दिवस की ऐसे सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त या आबकारी तथा कराधान अधिकारी द्वारा भी की जायेगी जिसके जिले में बद्धगोदाम स्थित हो।

26. यदि अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन की दुष्प्रेरणा करता है तो संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त/उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण अवधारण कर सकता है तथा जमा प्रतिभूति के किसी भाग अथवा पूरी राशि को सरकार के नाम अपवर्तन कर सकता है। परन्तु यदि उल्लंघन सामान्य हो तो अनुज्ञप्ति को वापस किया जा सकता है तथा प्रतिभूति को जब्ती के आदेश को, ऐसी राशि जमा करवाने के पश्चात जो 500/–रुपये से अधिक न हो, रद्द किया जा सकता है।

27. आपूर्ति, भण्डारण, तोलन, बाट, कास्क, टैंक, नालियां फार्क, पैमाने पात्र आदि सहित शराब जारी करने तथा इसकी व्यवस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार की सामान अथवा वस्तुएं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी शराब के स्टाक को सुरक्षित अभिरता के लिए जिम्मेवार होगा।

28. शराब के भण्डारण, निकालने, बोतलबन्द तथा जारी करने से सम्बन्धित सभी प्रक्रिया प्रभारी अधिकारी की सीधी देख-रेख बद्धगोदाम परिसर में की जायेगी।

29. शराब के भण्डारण के लिए प्रत्येक पात्र नियमित आकार का होना चाहिए तथा प्रत्येक पात्र पर उसकी संख्या तथा क्षमता तथा प्रयोग जिसमें इसे लाया जाना हो स्पष्ट रूप में लिखी होनी चाहिए । वाट पर डी-18 में टिकट लगे होने चाहिए जिसमें शराब की प्राप्ति तथा वितरण का विवरण दर्शाया गया हो।

30. सभी पात्र तथा पैकेज जिनमें शराब का प्रेषण किया जाता है गोदाम से बाहर ले जाने से पूर्व प्रभारी अधिकारी की सरकारी मोहर के द्वारा मोहरबन्द किये जायेंगे। पात्र तथा पैकेज पर लेबल लगाया जायेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा :—

"क" अनुज्ञप्तिधारी का नाम,
"ख" प्रमाण में मात्रा सहित अन्तर्वस्तु और बल्क लिटर शराब।
"ग" रखी गई शराब की किस्म।
"घ" बन्धपत्र में अथवा भुगतान किया गया शुल्क।

लेखे :

31. (1) प्रभारी अधिकारी प्रपत्र "डी-9" में दैनिकी रखेगा, जिसमें गोदाम में किए गए कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिदिन की प्रविष्टियों को दर्ज किया जायेगा।

(2) प्रभारी अधिकारी प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0 एच0 4 पर एक सामान्य रजिस्टर भी रखेगा।

(3) प्रभारी अधिकारी प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0, एच-6 पर एक सूची तैयार करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर गोदाम में नियोजित सभी कर्मचारियों के विवरण लिखे होंगे।

32. स्पिरिट के अल्कोहलिक अन्तर्वस्तु के निर्धारण हेतु उपकरण, राजस्व ताले माप छड़ वित्तायुक्त द्वारा दिए जायेंगे।

33. अनुज्ञप्तिधारी शराब की बोतलों में बन्द किए जाने के लिए अपेक्षित खाली बोतलों लेबलों, कैपसूलों, कार्कों, चोरी न की जा सकने वाली मोहरों, सुगन्धित तथा रंगों का पर्याप्त स्टाक सदैव अपने पास रखेगा । खाली बोतलों के स्टाक का लेखा प्रपत्र बी, डब्ल्यू, एच-7 पर रखा जाएगा।

34. ऐसी सभी नालियां जिनके द्वारा शराब ली जाती है अथवा शराब के पात्रों को भरा जाए, के किनारों को उन पात्रों में मजबूती के साथ जोड़ा जाएगा, जिन्हें भरने के लिए उन्हें प्रयुक्त किया गया हो।

35. स्पिरिट की नालियों के सभी जोड़ों को, रिवट लगाये जाने चाहिए अथवा काबलों से जोड़े जाने चाहिए । पर बाद की अवस्था में साथ जोड़े गए कारों में काबलों के अतिरिक्त कम से कम दो सीसे या नया टीन से बनी कीलें होनी चाहिए जो राजस्व मोहर द्वारा मोहरबन्द हों, अथवा कुछ अन्य जोड़ों की अवस्था में जब इसको वित्तायुक्त द्वारा विशेष अनुमति दी गई हो, कारों में काबले द्वारा छेद किया जायेगा, जिसमें राजस्व ताला लगा होगा जो काबले के एक किनारे वाले छेद में डाला जायेगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि पैदों में 3.175 मिलिमीटर (1/8 इन्च) का छेद किया जायेगा जिसमें तार डाली जायेगी तथा राजस्व मोहर द्वारा मोहरबन्द किया जायेगा।

36. अनुज्ञप्तिधारी नालियां, वैटों तथा शराब के अन्य पात्रों से, सभी प्रकार की रिश्वत रोकने के लिए जिम्मेवार होगा।

37. तालों की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि जब तक तालों को हटाया अथवा अन्यथा बन्द नहीं किया जाए तब तक किसी भी नाली अथवा इसके किसी भाग द्वारा कार्य करना सम्भव न हो।

38. सुगन्धि, रंग तथा इसी प्रकार की अन्य पात्र को रखने वाले बोतल अथवा अन्य पात्र जो अनुज्ञप्तिधारी को समुचित संक्रिया के लिए आवश्यक हो, इस प्रयोजन हेतु रखे गए पृथक कमरे में रखी जायेगी।

39. कोई भी बर्तन अथवा पात्र उस समय तक प्रयोग में नहीं लाया जायगा जब तक कि इसमें माप चिन्ह न लगे हों और प्रभारी अधिकारी द्वारा पास न किया गया हो तथा इसके लिए प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0 एच0 5 पर तालिका पुस्तक तैयार न की गई हो। यदि माप चिन्ह वाले पात्र की मुरम्मत की गई हो अथवा उसे हटा दिया गया हो तो उसे पुनः उस समय तक प्रयोग में नहीं लाया जायगा जब तक कि इसमें पुनः माप-चिन्ह न लगाए जाएं और प्रभारी अधिकारी इसे पास न करे तथा संशोधित तालिका पुस्तक तैयार न की जाए।

बोतलों में भरने के प्रयोजन से शराब का भण्डारण तथा पास किया जाना :

40. साफ स्पिरिट का निकालना, अवरत करना अथवा उसका समिश्रित करना भण्डार वैट में हो अनुमत है बशर्ते कि इस प्रकार का कार्य प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में उसके पर्यवेक्षण में किया जाए। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाने वाला जल शुद्ध होना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी को जल आपूर्ति के सम्बन्ध में संबंधित आबकारी तथा कराधान आयुक्त/उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त के अनुदेशों का पालन करना होगा।

41. शराब को ऐसी सामग्री के साथ रंग देने/मिश्रित करने की निम्न अनुमति होगी जिसे वित्तायुक्त द्वारा विशेष रूप से वर्जित न किया गया हो।

(क) स्टोर वाट में, तथा
(ख) थोक शराब जारी करते समय जारी करने वाले कमरे में,
(ग) बशर्तेकि यह कार्य प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में किया जाए। गोदाम में लाई गई सभी प्रकार की रंग तथा मिश्रण सामग्री प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रपत्र डी-16 रजिस्टर में दर्ज की जायेगी तथा रंग और मिश्रण सामग्री कमरे में रखी जायेगी। उनके गुण तथा स्वरूप समय-समय पर जांच करने के अध्याधीन होगें।

42. देसी स्पिरिट तथा भारत में निर्मित्त विदेशी शराब को बोतलों में भरने का कार्य पृथक पृथक कमरों में किया जाएगा तथा इसी प्रकार इनका भण्डारण भी अलग अलग कमरों में किया जाएगा। बोतल बन्द शराब भण्डार कक्ष कहे जाने वाली देशी तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के ये कक्ष पृथक रूप से प्रत्येक प्रकार की शराब के बोतल बन्द करने वाले कमरे के नजदीक होंगे। अनुज्ञप्तिधारी यथा आवश्यक बोतलबन्द करने तथा छानने से सम्बन्धित रखे उपकरणों की व्यवस्था करगा। बोटलिंग वाट सीधे होने चाहिए तथा इनम शराब स्टोर की जायेगी तथा बोतल बन्द करने वाले कमरों में रखी जाएगी।

43. पंजाब मद्यशाला तथा पंजाब सुराकर्मशाला में बोतलों में बन्द करने के लिए विहित नियम गोदाम में बोतल बन्द करने के लिए, यथा आवश्यक परिवर्त्तन सहित लागू होंगे।

44. अनुज्ञप्तिधारी डाट अथवा सभी पीपों तथा पात्रों जिन्हें शराब के प्रेषण तथा तैयारी के लिए भरा गया हो के सुराखों को अच्छी तरह बन्द करने अथवा, यदि उन्हें पक किया गया हो उनके पैकज बनाने प्रभारी अधिकारी द्वारा इस प्रकार मोहर लगाने कि उन्हें मोहर को क्षति पहुंचाए बिना न खोला जा सकें, सभी के लिए जिम्मेवार होगा।

45. प्रभारी अधिकारी खाली तथा शराब से भरे पीपों का भार लेगा तथा भार को रजिस्टर में प्रपत्र डी-22 में दर्ज करगा। यदि भार के निरीक्षण पर 200 लिटर में 1,000 मिलिलिटर से अधिक कमी अथवा बढ़ोतरी पायी जाए तो शराब को पुनः मापा जायगा। क्योंकि शराब मापन के द्वारा जारी की जाती है भार के द्वारा नहीं, इसलिए भार परिणाम को पुनः मापन के बिना अन्तिम नहीं माना जाएगा।

46. अनुज्ञप्तिधारी को शुल्क अदा करने के पश्चात नमूने के रूप में जारी की गई शराब के अतिरिक्त 18 लिटर से कम कोई भी थोक शराब तथा बोतल बन्द शराब 9 लीटर से कम जारी नहीं की जायेंगी।

47. कोई भी शराब उस समय तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि इसकी मात्रा तथा शक्ति प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित न की जाए अथवा विशेष भारतीय स्वाद की दृष्टि से निर्मित सुगन्धित अथवा रंगदार शराब की स्थिति में यह शराब इसकी शक्ति के सत्यापन के लिए किए गए विशेष प्रबन्ध के अधीन हो, जारी की जाएगी। सौंफवाली मसालेदार शराब जो विलयन पर दूध के समान सफद हो जाती है, के अतिरिक्त सभी प्रकार की मसालेदार शराब को राज्य में अनुज्ञप्तिधारी को वितरित किए जाने से पूर्व रंगीन किया जाएगा।

48. अनुज्ञप्तिधारी यदि वित्तायुक्त द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो सामान्यतः क्रेताओं के किसी विशिष्ट वर्गों के लिए केवल विशिष्ट शक्ति की शराब जारी कर सकता है।

49. प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पास के अतिरिक्त कोई भी शराब जारी नहीं की जाएगी।

50. प्रभारी अधिकारी 12 बजे दोपहर तक प्राप्त मांग पत्रों के अनुसार मांगी गई शराब उसी दिन जारी करेगा। गोदाम कार्य समय के बाद कोई शराब जारी नहीं की जायेगी/कोई भी मांग पत्र जिसका भुगतान उस दिन न किया जा सकता हो अगले कार्य दिवस पर पूरा किया जायेगा।

51. मानव प्रयोग के लिए उपयुक्त होने वाली शराब का पास केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया जायेगा, मामला :—

(क) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में ऐसी शराब को थोक अथवा परचून बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति का धारक होने के रूप में प्रमाणित हो, तथा जब शराब की वहन अथवा निर्यात गोदाम के जिले की सीमा से बाहर किया जा रहा हो, मण्डल/क्षेत्र के संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त/उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त अथवा गन्तव्य स्थान क राज्य के इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र, प्राप्त व्यक्ति।

(ख) संघ शासित के आबकारी प्राधिकारी द्वारा अथवा भारतीय संघ के किसी भी राज्य के जिला के जिला आबकारी प्राधिकारी द्वारा, हिमाचल प्रदेश से उसे संघ शासित क्षेत्र अथवा राज्य में ऐसी शराब के निर्यात के लिए, हस्ताक्षरित परमिट को धारण करने वाला कोई व्यक्ति।

(ग) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिसे नमूने के तौर पर शराब जारी की गई हो :—

(1) बशर्तेकि नमूने के रूप में जारी की गई शराब 22.5 प्रूफ लीटर प्रतिमास से अधिक न हो और रजिस्टर पर फार्म "डी" 25 में इसका लेखा रखा गया हो जो कि सूक्ष्म आबकारी प्राधिकारी द्वारा निश्चत कालिक जांच के अध्याधीन होगा।

(2) नमूने, पंजाब मद्यशाला नियम के अधीन विनिर्दिष्ट बोतलों अथवा 180 मिलिलीटर से कम आकार के किसी बोतल में जारी किये जाते हैं।

(घ) कोई भी सरकारी अधिकारी जो अपनी शासकीय क्षमता में शराब उठाता हो।

52. शुल्क के नकद भुगतान अथवा सरकारी कोष में अदा किए गए उसके अग्रिम विरुद्ध समायोजन के तरीकों के अतिरिक्त शराब गोदाम निम्न स्थितियों में ले जाई जा सकती है।

(क) बन्धपत्र में शुल्क मुक्त, और

(ख) शुल्क के भुगतान हेतु, प्रपत्र डी-19 पर बन्ध पत्र के निष्पादन करने पर इन दोनों तरीकों से शराब ले जाने के लिए वित्तायुक्त की स्वीकृति आवश्यक होगी।

53. यदि कार्यभारी अधिकारी का यह समाधान हो कि आवेदक पूर्ववर्ती नियमों के अधीन शराब ले जाने का हकदार है और कि शुल्क अदा किया गया है अथवा हिसाब में लाया गया है या आवश्यक बन्धपत्र निष्पादित कर दिया गया है जो वह शराब जारी करेगा। इसी समय व (प्रपत्र डी-20 अथवा एल-24) निर्धारित फार्म पर पास तैयार करेगा जिसकी एक अनुलिपि गन्तव्य स्थान के आबकारी, प्राधिकारी को भेजेगा।

54. यदि कोई शराब किसी कारणवश प्रयोग योग्य न रहे अथवा उसे आयोग्य अथवा अन्यथा किसी अन्य प्रयोग में न लाया जा सकता हो तो उसे वित्तायुक्त के आदेशाधीन जिला के सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जायेगा तथा उसे फिर रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

55. अन्य सभी मामलों पर जिनको इन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, पंजाब मद्यशाला नियम, तथा पंजाब सुराकर्मशाला नियम यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

56. निम्नलिखित, रजिस्टर तथा प्रपत्र विहित किये गए हैं :—

(1) प्रपत्र बी 0 डब्ल्यू 0 एच 0	1 आवेदन पत्र प्रपत्र
(2) प्रपत्र बी 0 डब्ल्यू 0 एच 0	2 अनुज्ञप्ति प्रपत्र
(3) प्रपत्र बी 0 डब्ल्यू 0 एच 0	3 अनुज्ञप्ति बन्ध पत्र

(4) प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0 एच0	4 सामान्य रजिस्टर (भवन, मशीनरी, उपकरण आदि से सम्बन्धित।
(5) प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0 एच0	5 तालिका पुस्तक स्पिरिट वाट।
(6) प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0 एच0	6 गोदाम में नियोजित व्यक्तियों की सूची।
(7) प्रपत्र बी0 जब्ल्यू0 एच0	7 अनुज्ञप्तिधारी का खाली बोतलों के स्टाक का रजिस्टर।
(8) प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0 एच0	8 शराब की प्राप्ति और निपटान का रजिस्टर।

57. बद्ध गोदाम की स्थिति में निम्नलिखित मद्यशाला तथा सुराकर्मशाला प्रपत्र तथा रजिस्टर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लाग होंगे।

(1) डी–9	निरीक्षक की दैनिकी
(2) डी–13	निर्गम रजिस्टर
(3) डी–13–ए	बद्धपत्र के अन्तर्गत प्राप्त स्पिरिट की प्राप्ति एवं निस्तारण रजिस्टर।
(4) डी–13–बी	बोतल बन्द कार्य से सम्बन्धित रजिस्टर
(5) डी-14-	थोक भण्डार तथा निर्गम रजिस्टर
(6) डी-15–ए	बन्द बोतल स्पिरिट भण्डार तथा निर्गम रजिस्टर
(7) डी–15	अग्रिम शुल्क रजिस्टर
(8) डी–16	जारी की गई मिश्रित स्पिरिट तथा स्टाक रजिस्टर में इन्दराज की गई।
(9) डी–17	लाक टिकट
(10) डी–18	वाट टिकट
(11) डी–19	बकाया के रूप में शुल्क के भुगतान सम्बन्धी अनुबन्धपत्र।
(12) डी–20 तथा एल–34	गोदाम से शराब ले जाने का पास
(13) डी–22	तोलन रजिस्टर
(14) डी–23	अतिकालिक शुल्क मुक्त रजिस्टर
(15) डी–24	नमूना का मासिक रजिस्टर
(16) डी–15	गोदाम से बीयर जारी करने सम्बन्धी रजिस्टर
(17) डी–15–ए	बीयर पर लिया गया शुल्क

58. नियमों के निर्वतन सम्बन्धी किसी भी विवाद के सम्बन्ध में वितायुक्त का मत अन्तिम होगा।

59. विखण्डन और व्यावृत्ति.—(1) समय समय पर यथा संशोधित पंजाब एक्साईज बांडिट वैयर हाऊस रुल्ज, 1957 जैसे पंजाब रिआर्गेनाईजेशन ऐक्ट, 1966 की धारा 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित क्षेत्रों में प्रवृत्त हैं तथा समय-समय यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश कन्ट्रोलिकर बांडिट वैयर हाऊस रुल्स, 1968 तथा पूर्व समय की उन सभी अधिसूचनाओं को जो पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 की धारा 22 के अन्तर्गत स्थापित बद्ध गोदामों के शासन, साधारण एवम् मदिरा की बोतल में भरने के नियमों से सम्बन्ध रखती है, को विखण्डित किया जाता है।

(2) ऐसे विखण्डन में किसी बात के होते हुए भी, विखण्डित नियमों इत्यादि के अन्तर्गत किसी कार्य अथवा किसी कार्यवाही को किन्हीं भी आदेशों, अधिसूचनाओं समेत जहां तक वह नियमों के प्रावधानों के संगत हो, को इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया माना जायेगा।

हेम चन्द,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
(पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 के अन्तर्गत
वित्तायुक्त की शक्तियों सहित)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।